



Form 1

Maintenance of records Form of Continuous Khatian to be maintained by the Anchal Adhikari under Section 3(1)

(See Rule 4)

Continuous Khatian

Anchal- गोविन्दपुर Rev P.S- गोविन्दपुर State of- झारखण्ड Police Station- गोविन्दपुर
R.T.No 129 Khata Type रैयती

खाता नम्बर	रैयत का नाम, पिता का नाम एवम जाति	प्लॉट संख्या	चौहद्दी	ए	डे	हे	लगान	कैफियत / अभ्युक्ति	भाग वर्तमान/ पृष्ठ संख्या
134	विस्भर मिस्त्री वो हीरालाल मिस्त्री , पिता-गुही राम मिस्त्री, जाति- . एवं दख पति देवी , पति-गुही राम मिस्त्री, जाति- .	1443		0 ऐ	24 डि	0 हे		10	1 / 134
		1444		0 ऐ	30.57 डि	0 हे			
		1445		0 ऐ	6 डि	0 हे			
		1446		0 ऐ	14.59 डि	0 हे			
		1448		0 ऐ	8 डि	0 हे			
		1449		0 ऐ	43 डि	0 हे			
		1450		0 ऐ	12 डि	0 हे			
		1451		0 ऐ	13 डि	0 हे			
		1456		1 ऐ	58.38 डि	0 हे			
		421		0 ऐ	47 डि	0 हे			
465		0 ऐ	4 डि	0 हे					
134	अलिभा ट्रेकम प्रा.लि.डा0 श्री पवन कु.अग्रवाल , पिता-स्व.गोपी राम अग्रवाल, जाति- .	465		0 ऐ	2 डि	0 हे	5	दा. खा.म.स. 3879 (6) 2015-16	1 / 587
134	श्री राकेश कुमार रतन , पिता-श्री रघुनाथ	465		0 ऐ	1 डि	0 हे	4	दा0खा0मु0स0-4003(VI)2016-17	1 / 681

Musabha Saha

	सिंह, जाति- .								
134	SMT PHOOL KUMARI , पति-SRI SINKU KUMAR RAY , जाति- ब्राह्मण	1443		0 ऐ	5 डि	0 हे	5	नामान्तरण मुकदमा संख्या 2838/2018 - 2019	2 / 39
134	बिलकीस रशीद , पति-मो0 हारुन रशीद, जाति- मोमीन	1444		0 ऐ	1.46 डि	0 हे	10	नामान्तरण मुकदमा संख्या 373/2020 - 2021	3 / 19
		1446		0 ऐ	1.41 डि	0 हे			
134	शेख हमीदुर्हमान , पिता-मृत शेख अखतर हुसैन , जाति- मोमीन	1444		0 ऐ	3.09 डि	0 हे	10	नामान्तरण मुकदमा संख्या 379/2020 - 2021	3 / 20
134	SMT.MADHU PUSHPA SINGH , पिता-LATE- SHIVNATH BHANDARI, जाति- चन्द्रवंशी (कहार)	1444		0 ऐ	3.31 डि	0 हे	10	नामान्तरण मुकदमा संख्या 1388/2020 - 2021	3 / 32
134	SMT.INDRA DEVI , पति-SRI.SHAMBHUNATH SINGH, जाति- कहार	1456		0 ऐ	3.62 डि	0 हे	10	नामान्तरण मुकदमा संख्या 1385/2020 - 2021	3 / 34
134	SMT. MRIDULA SINHA , पति-SRI. GOBARDHAN PRASAD LALA, जाति- कायस्थ	1444		0 ऐ	2.57 डि	0 हे	10	नामान्तरण मुकदमा संख्या 3396/2020 - 2021	3 / 36

यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है

10/22/2020

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

Mridula Sinha